344/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अय इतिशियल्य जज
31.08.23	- पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी तथा वकील अप्रार्थीगण हाजिर। गत पेशी पर प्रदत्त निर्देशों की पालना में वकील अप्रार्थीगण ने समर्पण आदेश मय जमाबंदी नक्शा प्रस्तुत किया, जो शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात् प्रकरण में बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने जाहिर किया कि न्यायालय की शरण में आने का उनका एकमात्र उद्देश्य अपने खातेदारी खेत तक पहुंच हेतु रास्ता प्राप्त करना है, यदि विप्रार्थी जरिए समर्पण रेकर्ड में रास्ता दर्ज करवाते हैं, जिससे हमारी खातेदारी भूमि जुड़ जाए तो हमें आपत्ति नहीं है। दौरान-ए-बहस वकील अप्रार्थी ने दस्तावेज प्रदर्शित करते हुए निवेदन किया कि विप्रार्थीगण ने अपनी भूमि राजहक में समर्पित की है तथा उसका राजस्व रेकर्ड में अंकन कर दिया गया है। उक्त रास्ता खसरा नं. 297 को जोड़ता है। चूंकि खसरा नं. 294 तथा 297 एक ही खातेदार के हैं, अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में वांछित अनुतोष प्राप्त हो चुका है फलतः प्रकरण खारिज किया जाए। हमने पत्रावली एवं वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया तथा उभय पक्षों की बहस को ध्यानपूर्वक सुनते हुए उस पर मनन किया, जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि ख.नं. 294 तक रास्ता चाहता है तथा वकील विप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत समर्पण आदेश, जमाबंदी व नक्शा अनुसार ख.नं. 297 तक रास्ता दर्ज है। जमाबंदी अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि ख.नं. 294 व 297 एक ही खातेदार की भूमि है तथा दोनों खसरे संलग्न समीपस्थ (Adjoining) हैं जिससे ख.नं. 294 में प्रार्थी की पहुंच में कोई अवरोध दृष्टिगत नहीं होता है। चूंकि प्रार्थी द्वारा वांछित [illegible] वाद हेतुक (Cause of Action), विप्रार्थीगण द्वारा रास्ते [illegible] बाद शेष नहीं रहता है, अतः प्रकरण इस [illegible] होने के कारण खारिज किये जाने के आदेश [illegible] द्वारा सर-ए-इजलास सुनाया गया। पत्रावली इसी कदर निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर लेख्य भंडार हो। (हस्ताक्षर) 31.08.2023 उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Arihant
c/for NIA

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2023.10.25 19:12:50 IST
Reason: SelfAttested